1.1.18

पत्रावली पेश हुई/उभय पक्ष
पक्षों की बहस सुनी गयी/ व बहस पर मनन
किया गया/ वकील प्रार्थी का कथन किया कि
रजिस्टर्ड दान पत्र से दान किया गया, अतः
बेदखल न करे/ व जमाबन्दी में जरिये
ट्रस्टी मन्दिर का दर्ज है, कब्जा हमारा ही
है/ अतः प्रा०पत्र 212 स्वीकार किया जावे/
विपक्षी वकील द्वारा दि. 15.12.16 को
जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी द्वारा
जरिये ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा वाद प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

FORM No. III

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करने का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष को है एवम् ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस उद्देश्य से भूमि दान दी गयी है अतः पुनः किस उद्देश्य से बदलना चाहते। व रकबा भी हमारा है निर्माणाधीन मकान अलग ग्राम में है एवम पंजीकृत ट्रस्ट नहीं है।
	अतः पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत जवाब प्रा०पत्र, उभय पक्ष की बहस एवम् प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार सुविधा का संतुलन एवम् अपूरणीय क्षति होना प्रार्थिया के पक्ष में नहीं पाया जाता है।
	अतः प्रार्थना पत्र ~~[illegible]~~ प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।
	उपखण्ड [illegible] मांडल जि[illegible]